न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी–पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 187/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल संख्या– 2022/ 231

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
कोगटा फाईनेंसियल (इण्डिया) लिंमिटेड पंजीयकृत कार्यालय, एकोगटा हाउस, आजाद मौहल्ला, बिजयनगर–305624, राजस्थान एंव निगमित कार्यालय एस–1 गोपालबाडी अजमेर पुलिया के पास में मैट्रो पिल्लर नं. 143 के सामने जयपुर राजस्थान–302001 एंव जरिये प्राधिकृत अधिकारी शक्ति सिंह		1. शम्भु कुमावत पुत्र नर्सी लाल पता–290, बादला का बास, वार्ड नं. 6 कुचामन सिटी, कुचामन नागौर राजस्थान–341508 दूसरा पता– कुचामनसिटी वार्ड नं. 6 खसरा नं. 765, 766, 2525/758, 2540/758 तहसील कुचामनसिटी कुचामन जिला नागौर। श्री बालाजी सबमसौबत मोटर्स पार्टस प्रो. शम्भु कुमावत पता– न्यू कॉलोनी स्टेशन रोड, कुचामनसिटी नावां नागौर राजस्थान 341508 2. श्रीमति मीरा देवी पत्नी शम्भु कुमावत पता– 290 बादला का बास, वार्ड नं. 6 कुचामन सिटी कुचामन नागौर राजस्थान 341508 3. सुनीता कुमारी पुत्री नर्सी लाल कुमावत पता– 290 बादला का बास, वार्ड नं. 6 कुचामन सिटी कुचामन नागौर राजस्थान 341508 4. श्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नी नर्सी लाल कुमावत पता– 290 बादला का बास, वार्ड नं. 6 कुचामन सिटी कुचामन नागौर राजस्थान 341508 ज्ञान सागर शिक्षण संस्थान प्रेजीडेन्ट लक्ष्मी देवी पता– बादला का बास, कुचामन सिटी नागौर राजस्थान 341508 5. पूनम कुमावत पुत्र नर्सी लाल पता– 290 बादला का बास, वार्ड नं. 6 कुचामन सिटी कुचामन नागौर राजस्थान 341508

आदेश दिनांक : 20-06-2022

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन **और प्रतिभूति हित** प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ।

वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक **ने अप्रार्थी/ऋणी** को रूपये **25,00,000/–(अक्षरे पच्चीस लाख रूपये मात्र) ऋण** सुविधा दिनांक **31.08.2019 को** ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति– श्री शम्भु पुत्र नरसीलाल की सम्पति जो कि कुचामन सिटी वार्ड नं.6 खसरा नं.** 765, 766, **2525/758, 2540/758** (90–ए) **तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर पर स्थित है जिसमें भूमि,** भवन व **ढांचा आदि सम्पति के** अभिन्न अंग है। **जिसका क्षेत्रफल 8417.52 वर्ग फुट है। जिसकी चारो दिशाएं** :– उत्तर **में– रोड, दक्षिण में–** रोड, पूर्व में– रोड, पश्चिम में– रोड, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव **जमानतदार ने** आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से [illegible] व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में **उक्त खाते को दिनांक 05.01.2022** को एन.पी.ए. घोषित [illegible] **रूपये 29,12,293/–(अक्षरे उनतीस लाख बारह हजार** [illegible] **सौ** [illegible]**रानवे रूपये मात्र) दिनांक 11.01.2022** तक व **आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित** राशि बकाया निकलती [illegible] करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान [illegible] 11.01.2022 को [illegible]ई नोटिस दिये **की धारा 13 (2)** के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक [illegible] राशि जमा नहीं करवायी [illegible] न बंधक शुदा **गये परन्तु नोटिस** प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के **सम्पति सम्पूर्ण** कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के **अन्दर–अन्दर ऋण रूपये 29,12,293/–(अक्षरे उनतीस लाख बारह हजार दो सौ तिरानवे रूपये मात्र) दिनांक**

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:15:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

11.01.2022 तक व आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने **उपरोक्त नोटिस** के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत **कार्यवाही करना** आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा **लेने में सहायता** आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं **सिक्योरिटीज से** संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के **लिये प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण :– **श्री शम्भु पुत्र नरसीलाल की सम्पति जो कि कुचामन सिटी वार्ड नं.6 खसरा** नं. 765, 766, 2525/758, 2540/758 (90–ए) **तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल 8417.52 वर्ग फुट है। जिसकी चारो दिशाएं** :– उत्तर में– रोड, दक्षिण में– रोड, **पूर्व में– रोड, पश्चिम में**– रोड, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित **डौक्यूमेन्टस का** कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का **आदेश जारी करने** हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने **प्रार्थी बैक से 25,00,000/–(अक्षरे पच्चीस लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 31.08.2019** को प्राप्त की **थी। उक्त ऋण** के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के **पक्ष में निष्पादित** किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के **अन्तर्गत नोटिस** जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा **14 में उपरोक्तानुसार** रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस **प्रकार है:– प्रतिभूति** आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय **मजिस्ट्रेट या** जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की **आवश्यकता हो,** या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम **के प्रावधानों के** अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या **नियंत्रण को लेने के** प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी **अधिकारिता के** भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो **सकेगा या पाया** जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या **जिला मजिस्ट्रेट** जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित **दस्तावेजों का** कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, **मुख्य महानगरीय** मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर **सकेगा जो** उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित **किया जाना हम** उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक **नागौर को निर्देश** दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति– श्री शम्भु पुत्र नरसीलाल की सम्पति जो कि कुचामन सिटी वार्ड नं.6 खसरा** नं. 765, 766, **2525/758, 2540/758 (90–ए) तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल 8417.52 वर्ग फुट है। जिसकी चारो दिशाएं** :– उत्तर **में– रोड, दक्षिण में**– रोड, पूर्व में– रोड, पश्चिम में– रो[illegible] बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी **बैक के हक मे** बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित [illegible] था, के संबंध मे संबंधित थानाधिकारी, **पुलिस थाना को** निर्देशित करे कि वे उक्त सम्पत्ति का कब्जा [illegible]से संबधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के **कब्जे** मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी [illegible] विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:15:34 IST
Reason: SelfAttested

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट,नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर